भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2276
दिनांक 15.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अवैध आप्रवासी

2276. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:
श्री राहुल कस्वां:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में अवैध कारोबार करने वाले ट्रैवल/प्लेसमेंट एजेंटों द्वारा लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा है और यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास उन भारतीय नागरिकों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं जिनकी पहचान अन्य देशों में अवैध आप्रवासियों के रूप में की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास अन्य देशों से इस प्रकार निर्वासित किए गए भारत के अवैध आप्रवासियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अवैध आप्रवासन संबंधी मुद्दों के कारण निर्वासन का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए सरकार के पास राजनयिक अथवा कांसुलर उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विदेश मंत्रालय ने विभिन्न देशों में आप्रवासन नीतियो की कानूनी आवश्यकताओं और परिणामों के बारे में भारतीय नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई पहल की है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए जागरूकता कार्यक्रमों और उनके प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) यह देखा गया है कि कई बेईमान एजेंट/ट्रैवल एजेंसियां विदेशों में रोजगार के लिए लोगों की भर्ती के व्यवसाय में अवैध रूप से शामिल हैं। अवैध एजेंटों के बारे में जानकारी ई–माइग्रेट पोर्टल पर नियमित आधार पर अपलोड और अद्यतन की जाती है। 30 अक्टूबर 2023 तक, 2925 अवैध एजेंटों को ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। राजस्थान सहित अब तक अधिसूचित ऐसे अवैध एजेंटों की राज्य–वार संख्या का विवरण अनुबंध क में दिया गया है।

(ख) से (घ) कई अन्य देश अपने देश में अवैध प्रवास के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, जब तक कि उनके निर्वासन के आदेश न दिए गए हों और उनके यात्रा दस्तावेज़/राष्ट्रीयता सत्यापन की आवश्यकता न हो। वैसे, हमारे मिशनों और केंद्रों के पास विदेशों में अवैध रूप से रहने या काम करने वाले भारतीयों की संख्या से संबंधित कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं है। विदेशी नागरिकों के निर्वासन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। कुछ देश निर्वासित व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं और निर्वासन तक उन्हें हिरासत/निर्वासन केंद्रों में रखते हैं। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तारी/हिरासत और निर्वासन के बारे में जानकारी भारतीय मिशनों/केंद्रों के साथ साझा नहीं की जाती है और यदि निर्वासित व्यक्ति के पास वैध यात्रा दस्तावेज है तो मेजबान सरकार द्वारा सीधे निर्वासन किया जाता है। मेजबान सरकारों द्वारा भारतीय मिशनों/केंद्रों से केवल ऐसे मामलों में संपर्क किया जाता है, जहां निर्वासित व्यक्ति की राष्ट्रीयता सत्यापन और आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करना आवश्यक होता है। चूंकि सभी देश सभी भारतीय निर्वासित लोगों का विवरण साझा नहीं करते हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय के पास विदेशों से निर्वासित भारतीयों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ङ) भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में भारतीय कामगारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली शिविर आयोजित करते हैं। जैसे ही किसी भारतीय मिशन/केंद्र को किसी भारतीय नागरिक की हिरासत/गिरफ्तारी की सूचना मिलती है, वह हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक को कोंसली सहायता प्रदान करने, मामले के तथ्यों का पता लगाने, उसकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि करने और उसकी सलामती सुनिश्चित करने के लिए तुरंत स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करता है। विदेशों में कैद भारतीयों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन और केंद्र जहां भी आवश्यकता होती है, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मदद करते हैं। जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, वहां मिशनों और केंद्रों द्वारा वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी रखा जाता है। संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी भी भारतीय कैदी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना विदेशों में भारतीय मिशनों और केंद्रों में संकट की स्थिति में फंसे प्रवासी भारतीय नागरिकों को योग्य मामलों में माली हालत के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता के साथ-साथ स्वदेश वापसी के लिए यात्रा दस्तावेज/हवाई टिकट के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी शामिल है।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी का मुद्दा नियमित रूप से भारतीय मिशनों और केंद्रों द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। सरकार अन्य देशों के साथ कोंसली और अन्य परामर्शों के दौरान भी ऐसे मुद्दों के संबंध में निरंतर संपर्क बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त, सरकार, विदेशों में अपने मिशनों/केंद्रों के माध्यम से और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान, विदेशों में भारतीय कैदियों की सजा माफी/सजा कम करने के मुद्दे भी उठाती है और उनपर निरंतर कार्रवाई करती है। भारत ने कई देशों के साथ कैदी स्थानांतरण संधियाँ भी की हैं, जिनके तहत किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उसके गृह देश में स्थानांतरित करने की व्यवस्था हैं।

(च) और (छ) सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के सरकार के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, 9 जनवरी 2023 को इंदौर में 17 वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक डाक टिकट 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं' जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की आउटरीच गतिविधियों को मीडिया द्वारा नियमित रूप से कवर किया गया है। मंत्रालय के साथ-साथ विदेशों में भारतीय मिशन/केंद्र नियमित रूप से अवैध प्रवास के जोखिमों संबंधी परामर्शी जारी करते हैं ताकि विदेश जाने वाले युवाओं को जाली नौकरी की पेशकश के बारे में जागरूक किया जा सके।

गंतव्य देशों में कानूनी अपेक्षाओं और कार्य करने एवं रहने की स्थितियों के बारे में संभावित कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय प्रस्थान–पूर्व अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण (पीडीओटी) का आयोजन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवासन करें और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें और उन्हें भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पीडीओटी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रदान किए जाने वाला सॉफ्ट स्किल संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 30 नवंबर 2023 तक, 1,35,000 से अधिक संभावित प्रवासी कामगारों को व्यक्तिगत उपस्थिति और ऑनलाइन प्रारूप में कार्यक्रम से लाभ हुआ है।

*****

अनुबंध–क

अवैध एजेंटों की राज्य–वार संख्या

(30 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	संख्या
1	दिल्ली	292
2	पंजाब	190
3	तमिलनाडु	360
4	महाराष्ट्र	309
5	उत्तर प्रदेश	400
6	आंध्र प्रदेश	471
7	केरल	189
8	तेलंगाना	113
9	हरियाणा	35
10	गुजरात	56
11	पश्चिम बंगाल	127
12	कर्नाटक	80
13	राजस्थान	61
14	बिहार	54
15	मध्य प्रदेश	16
16	पुदुचेरी	6
17	उत्तराखंड	13
18	गोवा	13
19	हिमाचल प्रदेश	10
20	जम्मू एवं कश्मीर	11
21	चंडीगढ़	31
22	ओडिशा	11
23	छत्तीसगढ़	4
24	असम	60
25	झारखंड	5
26	त्रिपुरा	7
27	नागालैंड	1
कुल		**2925**

*****